

केंद्र ने चीनी निर्यात पर सब्सिडी 2,000 रुपये प्रति टन घटाई

नई दिल्ली, प्रेस: सरकार ने गुरुवार को चीनी निर्यात पर सब्सिडी 6,000 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,000 रुपये प्रति टन कर दी। वैश्विक बाजार में चीनी की कीमत में आई तेजी को देखते हुए यह कटौती तत्काल प्रभाव से की गई है। चीनी मिलों की तरलता यानी नकदी की स्थिति में सुधार तथा गन्ना किसानों को बकाया भुगतान में मदद करने के इरादे से सरकार ने चीनी मार्केटिंग वर्ष 2020-21 (अक्टूबर, 2020-सितंबर, 2021) के दौरान चीनी निर्यात पर 6,000 रुपये प्रति टन सब्सिडी निर्धारित की थी। चीनी मिलों को चालू मार्केटिंग वर्ष में 60 लाख टन चीनी निर्यात की इजाजत दी गई है। उन्होंने अब तक 57 लाख टन चीनी निर्यात का करार किया है। खाद्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुबोध कुमार ने कहा कि ग्लोबल बाजार में चीनी के दाम में मजबूती को देखते हुए हमने तत्काल प्रभाव से निर्यात पर सब्सिडी में 2,000 रुपये प्रति टन की कटौती की है और उसे 4,000 रुपये प्रति टन कर दिया है। घटी हुई सब्सिडी दर 20 मई या उसके बाद के निर्यात अनुबंधों पर लागू होगी।

कुमार का कहना था कि इससे भारत से चीनी निर्यात के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीनी के वैश्विक दाम में वृद्धि हो रही है। इसका कारण चीनी की कमी हो सकती है। अगर वैश्विक दाम और बढ़ते हैं तो, हम सब्सिडी में और कटौती करेंगे।

'>> वैश्विक बाजार में चीनी की कीमत में आई तेजी को देखते हुए यह कटौती तत्काल प्रभाव से की गई

'>> चालू मार्केटिंग वर्ष में मिलों को 60 लाख टन चीनी निर्यात की इजाजत दी गई है